

संख्या: 1201 /XXIV-C-3 / 2025-12(11)2021(Comp no-80149)

प्रेषक,

ब्योमकेश दूबे,

उप सचिव,

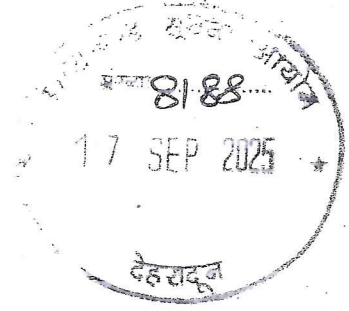
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,

उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड,

नवाङखेड़ा, गौलापार, हल्द्वानी, नैनीताल।



उच्च शिक्षा अनुभाग-3

देहरादून, दिनांक: 11 सितम्बर, 2025

विषय:- अशासकीय महाविद्यालयों में लोक सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी नामित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून के पत्रांक: 847/उ0सू0अ0/2025-26 दिनांक 19 जून, 2025 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0 आयोग द्वारा अशासकीय महाविद्यालयों के प्रोफेसर/असि0प्रोफेसर को लोक सूचना अधिकारी तथा प्रधानाचार्य को प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी नामित किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- अतः मा0 आयोग के उक्त पत्र दिनांक 19 जून, 2025 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि गढ़वाल व कुमाऊँ मण्डल अन्तर्गत अवस्थित अनुदानित महाविद्यालयों हेतु महाविद्यालय के प्रबंध समिति के स्थान पर उप निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल को प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी नामित किये जाने के संबंध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

Digitally signed by
BYOMKESH DUBEY
Date: 10-09-2025
18:49:07

(ब्योमकेश दूबे)
उप सचिव।

प्रतिलिपि: निजी सचिव, मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून को पत्रांक: 847/उ0सू0अ0/2025-26 दिनांक 19 जून, 2025 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।